मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5 अरेरा कालोनी,

बिट्ठन मार्केट ,भोपाल – 462 016

फोन: 0755-2430154, 2464643 फैक्स: 0755-2981055

ई मेल secretary@mperc.nic.in वेबसाइट –www.mperc.nic.in

क्रमांक: /विनिआ/आर ई/2021/1075 भोपाल, दिनांक: **28.07.2021**

सार्वजनिक सूचना

(याचिका क्रं. 70/2020)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियम ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय एवं चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2015 (आरजी-35 (II) वर्ष 2015)'' (एतदपश्चात जिसे विनियमन उल्लेखित किया गया है), दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को एवं इसका प्रथम संशोधन दिनांक 30 नवम्बर 2018 को अधिसूचित किया गया था। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.) जबलपुर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.) भोपाल, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.) इन्दौर व एम.पी. पॉवर मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर (एतदपश्चात जिन्हें याचिकाकर्ता अथवा पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी व एम.पी.पी.एम.सी.एल. उल्लेखित किया गया है) , ने आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता जिसे आयोग ने याचिका क्रं. 08/2019 में आदेश दिनांक 08 अगस्त 2019 पारित कर अनुज्ञेय किया था के सत्यापन हेतु याचिका प्रस्तुत की है । याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019-20 की समग्र वार्षिक राजस्व आवश्यकता के सत्यापन हेतु प्रस्तुत याचिका का सारांश निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक एवं अन्तर की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (राशि करोड़ रु में)

क्र	विवरण	अवधारित टैरिफ आदेशानसार				याचिका में प्रस्तत वास्तविक दावा				विचरण (A-B)
		पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	राज्य (A)	पूर्व क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	राज्य (B)	
	(i) बिजली खरीद लागत (पीजीसीएल शुल्क सहित)	*7,478.94*	*6,345.27*	*9,425.45*	*23,249.66*	*8,452.18*	*9,382.24*	*10,848.83*	*28,683.25*	*(5,433.59)*
	(ii) पारेषण लागत एस.एल. डी.सी. शुल्क सहित	*822.89*	*876.59*	*1,054.50*	*2,753.97*	*985.63*	*894.60*	*1,076.17*	*2,956.40*	*(202.43)*
1	**कुल बिजली खरीद लागत पारेषण शुल्क सहित**	**8,301.83**	**7,221.86**	**10,479.95**	**26,003.63**	**9,437.81**	**10,276.84**	**11,925.00**	**31,639.65**	**(5,636.02)**
2	संचालन एवं संधारण व्यय	1,782.74	1,710.97	1,824.82	5,318.54	1,653.19	1,510.80	1,648.90	4,812.89	505.65
3	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	273.32	343.43	209.52	826.26	242.95	310.71	195.69	749.35	76.91
4	अवक्षयण /अवमूल्यन	133.16	183.08	110.18	426.41	464.37	523.11	289.67	1,277.15	(850.74)
5	अंश पंजी पर प्रतिलाभ	251.80	348.44	186.39	786.63	337.11	345.95	213.45	896.52	(109.89)
6	डुबन्त ऋण	2.00	2.00	2.00	6.00	-	-	0.11	0.11	5.89
7	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	-	2.26	2.26	(2.26)
8	आयकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	**घटायें:** पूंजीकृत खर्च	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	**सकल ए.आर.आर.**	**10,744.85**	**9,809.77**	**12,812.85**	**33,367.47**	**12,135.43**	**12,967.40**	**14,275.09**	**39,377.92**	**(6,010.45)**
11	**घटायें:** अन्य आय	184.16	184.84	201.66	570.66	366.82	358.39	205.52	930.73	(360.07)
12	**जोड़ें:** सत्यापन का प्रभाव	1,033.22	1,502.73	1,338.30	3,874.25	1,056.48	1,509.00	1,354.00	3,919.48	(45.23)
13	**नेट ए. आर. आर. (13 = 10-11+12)**	**11,593.91**	**11,127.66**	**13,949.49**	**36,671.06**	**12,825.09**	**14,118.01**	**15,423.57**	**42,366.67**	**(5,695.61)**
14	बिजली विक्रय से प्राप्त राजस्व	11,593.91	11,127.66	13,949.49	**36,671.06**	10,366.76	11,744.09	14,914.68	**37,025.54**	(354.48)
15	**वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व अन्तर (15 =13-14)**	-	-	-	-	**2,458.33**	**2,373.91**	**508.89**	**5,341.13**	

इच्छुक व्यक्ति उक्त याचिका पर अपनी आपत्तियां अथवा टीप अथवा सुझाव तीन प्रतियों में सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई-5, अरेरा कालोनी, बिट्ठन मार्केट, भोपाल - 462 016 को प्रेषित कर सकते हैं जो कि दिनांक **20.08.2021** तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिये । दिनांक **20.08.2021** के पश्चात प्राप्त आपत्तियों / टिप्पणियों / सुझावों पर विचार नही किया जाएगा ।

आपत्तियों/ सुझावों/ टिप्पणियों ई-मेल secretary@mperc.nic.in के द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है, जिनकी मूल प्रतियां दिनांक **20.08.2021** तक नियामक आयोग के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए । दिनांक **20.08.2021** के पश्चात प्राप्त आपत्तियों / टिप्पणियों / सुझावों पर विचार नही किया जाएगा ।

याचिका की प्रति इच्छुक व्यक्ति द्वारा **30.07.2021** से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक नियामक आयोग के कार्यालय अथवा एम.पी. पॉवर मैनेजमैंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के ब्लॉक नं. 15 शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर स्थित मुख्यालय अथवा मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ब्लॉक नं.-7 शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर स्थित मुख्यालय अथवा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल स्थित मुख्यालय अथवा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जी.पी.एच. कम्पाऊन्ड, पालोग्रान्ड, इन्दौर स्थित मुख्यालय से एक प्रति के लिए रूपये 500/- के नकद भुगतान अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि क्रमश उप महाप्रबंधक (लेखा) एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि. जबलपुर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी (जबलपुर वृत) म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. लि. जबलपुर अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि., गोविन्दपुरा भोपाल अथवा क्षेत्रीय लेखाधिकारी मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., पोलोग्रान्ड इंदौर, पर देय हो, देकर प्राप्त की जा सकती है । याचिका की प्रति डाक द्वारा रूपये 100/- के अतिरिक्त भुगतान पर प्राप्त की जा सकती है । याचिका नियामक आयोग की वेब साईट http://www.mperc.in , तथा याचिकाकर्ताओं की वेबसाइटों http://www.mppmcl.com , http://www.mpez.co.in, https://portal.mpcz.in एवं http://www.mpwz.co.in से बिना किसी भुगतान के डाउनलोड की जा सकती है ।

इस प्रकरण में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई का आयोजन दिनांक **24.08.2021** को प्रातः 11 बजे किया जायेगा । इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने विचार, टीप, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किये हैं, वे अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई डी आयोग को भेजकर, उक्त जन सुनवाई हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाइन्स के अनुसार उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आयोग के आदेशानुसार

सचिव